

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसू जनजाति कल्याण विभाग
सं०-6/निदे० (TRI)-116-01/2022- 142

प्रेषक,
निदेशक,
सेवा में,
उप सचिव,
बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना।

पटना-15, दिनांक- 07/09/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना के संधारणार्थ अगले चार माह के लिए कुल ₹9,24,000/- (नौ लाख चौबीस हजार रु०) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के संकल्प संख्या-4998 दिनांक-21.12.2022 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना के स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या- 08 दिनांक-16.04.2026 के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया था। उप सचिव, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना के पत्रांक-282 दिनांक-14.08.2026 के द्वारा मांग-पत्र एवं वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में अगले चार माह के लिए कुल ₹9,24,000/- (नौ लाख चौबीस हजार रु०) मात्र की राशि अंकित विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2-आवंटित राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध के तहत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0016-बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण-विषयशीर्ष-0016.1101-यात्रा भत्ता, 0016.1301-कार्यालय व्यय एवं 0016.1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770016 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना होंगे।

4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि०, दिनांक- 01.04.2026 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-3 सं0-6/निदे0 (TRI)-116-01/2022- 142 पटना, दिनांक- 07/09/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/निदेशक, बिहार अनुसूचित
जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक(मु0)/प्रभारी. बजट शाखा/आई0 टी0
मैनेजर,/संबंधित प्रशाखा पदा0/ अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0
जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/26
निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण
संस्थान के संधारणार्थ अगले चार माह के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

क्रमांक	मद का नाम	अतिरिक्त आवंटित राशि (राशि रू0 में)
1	यात्रा व्यय (0016.1101)	96,000 / -
2	कार्यालय व्यय (0016.1301)	3,00,000 / -
3	भाड़े की गाड़ी का भुगतान (0016.1310)	5,28,000 / -
	कुल:-	9,24,000 / -

कुल राशि (नौ लाख चौबीस हजार रू0) मात्र

8/9/26
निदेशक

पत्रांक-142 दिनांक-07/9/26का अनुलग्नक।

8/9/26
निदेशक